

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला – रायपुर (छ.ग.)

–: आदेश :-

कमांक/452/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 06/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में ग्राम पंचायत बेलर, रायपुर अन्तर्गत ग्राम बेलर (थाना अभनपुर) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1.	पूर्व में	श्री दुकलहा का घर, श्री सेवक का घर
2.	उत्तर में	श्री खेमलालयदु का घर, बोधी का दुकान
3.	दक्षिण में	श्री भुवन निर्मलकरका घर, श्री कुमार ध्रुव का घर
4.	पश्चिम में	श्री धान सिंह का घर

A. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

1. उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी /आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।
2. उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे।
3. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति Incident Commander द्वारा दी जावेगी।
4. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
5. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन/मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर Incident Commander को सूचित किया जावे।
6. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
7. कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
8. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।



B. कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौंपा जाता है :-

1.	कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग	-	श्री पवन अग्रवाल कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग, क्रमांक 03 रायपुर (मो.नं. 98261 98288)
2.	लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति	-	श्री विश्वनाथ मुखर्जी, उप वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर (मो.नं. 90092 40000)
3.	कन्टेनमेंट जोन में सेनेटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था	-	सुश्री शीतल बंसल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अभनपुर, रायपुर (मो.नं. 79742 06483)
4.	घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	-	श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर (मो.नं. 9425516797)
5.	उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु Incident Commander	-	श्री सुरज कुमार साहू डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी(राजस्व), अभनपुर रायपुर (मो.न. 70003 55584)
6.	भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु	-	श्री बोधन साहू थाना प्रभारी, थाना अभनपुर रायपुर (मो.नं. 94791 91053)

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



Audam
अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (क.ग.)

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
11. श्री सुरज साहू, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी,अभनपुर Incident Commander को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सुश्री शीतल बंसल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. श्री बोधन साहू, थाना प्रभारी, थाना अभनपुर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. श्री पवन अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता , लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 03, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



Audame
अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर